क्रमांक 7654-6 जी0 एस0-70/25547

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागीय अध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल'; और सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट और सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 24 सितम्बर, 1970

विषय :—सिविल कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये रियायतें जो सैनिक सेवा में आपातकाल के समय भर्ती हुये थे— और भूतपूर्व सैनिकों की सरकार की सिविल सेवा में पुनः नियुक्ति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 88-4 जी0 एस0 1-66/9554 दिनांक 21-4-1966 तथा क्रमांक 2407-4 जी0 एस0-1-96/9738 दिनांक 22/25 अप्रैल, 1966 की ओर उपरोक्त विषय पर, दिलाऊं और यह कहूं कि सरकार के नोटिस में यह लाया गया है कि इन अनुदेशों के सही लक्ष्य के विषय में कुछ भ्रम है और स्थिति शक से मुक्त नहीं है । इसलिये यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में ठीक स्थिति इस प्रकार है :—

(1) 21 अप्रैल, 1966 के संगठित, परिपत्र में निर्देशित, सरकारी सेवा में आरक्षण के मामले तथा अन्य रियायतों में प्रथम अधिमान्यता उन व्यक्तियों को दी जायेगी जो आपात्काल के दौरान सैनिक सेवा में भरती हुये थे ।

(2) उपरोक्त आईटम नं0 (1) के व्यक्तियों के दावों को पूरा करने के पश्चात यदि कोई आरक्षण मात्रा की रिक्तियां बच जाती हैं तो वो उन व्यक्तियों द्वारा भरी जायेंगी जो आपात्काल से पहले सैनिक सेवा में भरती हुये हों परन्तु उन्होंने आपातकाल के दौरान सैनिक सेवा की हो । इन पदों के वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षित पदों के विरुद्ध द्वितीय अधिमान्यता का हक होगा ।

(3) 21 अप्रैल, 1966 के संगठित परिपत्र में निर्देशित आयु और अन्य योग्यताओं में ढ़ील की रियायतें आईटम नं0 (2) के वर्ग के व्यक्तियों को भी उसी प्रकार उपलब्ध होंगी जिस प्रकार आईटम नं0 (1) के व्यक्तियों को ।

भवदीय,

हस्ता—
उप सचिव राजनैतिक तथा सेवायें
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार